प्रेषक,

मिशन निदेशक,
एस.पी.एम.यू., एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या- SPMU/EMTS/Supp. Sup/GGH/2019-20/3976 दिनांक01/08/19

विषय: सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत राज्य स्तर से गठित जनपदीय दल के भ्रमण 22 से 26 जुलाई, 2019 की भ्रमण आख्या पर आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2019-20/18/2867 दिनांक 01.07.2019 के अनुपालन में सपोर्टिव सुपरविजन के अंतर्गत वर्ष 2019-20 हेतु जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ का पर्यवेक्षण किया जाना है। इसी कम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 22.07.2019 से 26.07.2019 तक जनपद गौतमबुद्धनगर का भ्रमण किया गया एवं भ्रमण आख्या तैयार की गयी है।

भ्रमण आख्या में चिकित्सा इकाईयों एवं चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में उल्लिखित की गयी कमियों एवं सुझावों पर आपके स्तर से सुधारात्मक आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे कि जनपद की स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके एवं बेहतर रणनीति/कार्ययोजना तैयार कर तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक- भ्रमण आख्या।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या- SPMU/EMTS/Supp. Sup/GGH/2019-20/3976-5 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबन्धक, एस.पी.एम.यू., एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मेरठ मण्डल, उ0प्र0।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जी.बी.नगर।

(डा0 पी0के0श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबन्धक ई0एम0टी0एस0

Scanned by CamScanner

जनपद गौतमबुद्धनगर के किये गये भ्रमण दिनांक 22.07.2019 से 26.07.2019 की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या

भ्रमण दल के सदस्य–

1. डा0 पी0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, ई0एम0टी0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
2. श्री भूपेश भास्कर, कार्यक्रम समन्वयक, कम्यूनिटी समन्वयक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।

भ्रमण दिवस– दिनांक 22.07.2019 से 26.07.2019

भ्रमण आख्या

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गौतमबुद्ध नगर		
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण) द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 सिनर्जी वेस्ट द्वारा प्रतिदिन वेस्ट कलेक्शन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर एजेंसी द्वारा सप्लाई किये जाने हेतु कन्ज्यूमेबिल्स की मानक सूची उपलब्ध नहीं थी।	एजेंसी द्वारा सप्लाई किये जाने हेतु कन्ज्यूमेबिल्स की मानक सूची के जनपद एवं चिकित्सालय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपूर्ति में कमी पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान से कटौती की जाए।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण) / मुख्य चिकित्साधिकारी
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अन्धता निवारण) द्वारा अवगत कराया गया कि मोतियाबिन्द ऑपरेशन की कार्ययोजना एवं चश्मों के वितरण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।	कार्ययोजना शीघ्र ही अन्तिम कर ली जाये।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अन्धता निवारण) / मुख्य चिकित्साधिकारी
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मेंटल हेल्थ) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर स्थान की कमी के कारण मनकक्ष स्थापित नहीं किया जा सका है।	मनकक्ष स्थापित किये जाने हेतु प्रयास किये जाएं।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मेंटल हेल्थ) / मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद में सी.एच.सी. स्तर पर 03 मेंटल हेल्थ कैम्प प्रस्तावित हैं जिसमें से 01 कैम्प सी.एच.सी. जेवर पर आयोजित किया जा चुका है।	कैम्पों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मेंटल हेल्थ) / मुख्य चिकित्साधिकारी
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.सी.डी.) द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान की कमी के कारण जिला चिकित्सालय में एन.सी.डी. क्लीनिक नहीं स्थापित नहीं किया जा सका है।	सी.एम.एस. से समन्वय कर एन.सी.डी. क्लीनिक की स्थापना सुनिश्चित की जाये।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.सी.डी.) / मुख्य चिकित्साधिकारी
बायो मेडिकल इक्यूपमेंट मेंटिनेंस परियोजना की एजेंसी मै0 साइरिक्स द्वारा जनपद एवं चिकित्सालय स्तर पर संतोषजनक रूप से समन्वय नही किया जा रहा है। भ्रमण दल द्वारा एजेंसी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि से मुख्य चिकित्साधिकारी की वार्ता करायी गयी।	एजेंसी के जनपदीय प्रतिनिधि द्वारा बेहतर समन्वय हेतु एजेंसी को निर्देशित किया गया । साथ ही साथ मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया कि समस्त चिकित्सालयों को परियोजना के सम्बंध में अभिमुखीकरण कराना सुनिश्चित करें।	मुख्य चिकित्साधिकारी / महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेंट
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की 15 अरबन पी.एच.सी. में से 12 के आर.के.एस. खाते खुलवा दिये	आर.के.एस. खातों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ बचे हुए	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)

Scanned by CamScanner

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
गये है।	खाते भी शीघ्र खुलवाये जाएं।	
जनपद में 11 चिकित्साधिकारी कार्यरत है एवं शेष 24 चिकित्साधिकारियों का चयन किया जा चुका है एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव को महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम. को प्रेषित किया गया है।	समन्वय कर शीघ्र ही तैनाती सुनिश्चित की जाये।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)/ महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम.
कुल 107 महिला आरोग्य समितियों के सापेक्ष 94 खाते खोले जा चुके है।	बचे हुए खाते भी शीघ्र खुलवाये जाएं एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)/ महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम.
जनपद स्तर पर अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट का पद विगत 06 माह से रिक्त है जिसके कारण कार्यक्रम के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण में असुविधा हो रही है।	राज्य स्तर से समन्वय कर तैनाती सुनिश्चित करायें।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ महाप्रबन्धक, एन.यू.एच.एम.
जिला संयुक्त चिकित्सालय– गौतम बुद्ध नगर		
सी.एम.एस. द्वारा अवगत कराया गया कि मे० सिनर्जी वेस्ट द्वारा प्रतिदिन वेस्ट कलेक्शन किया जा रहा है। चिकित्सालय में एजेंसी द्वारा सप्लाई किये जाने हेतु कन्ज्यूमेबिल्स की मानक सूची उपलब्ध नहीं थी।	एजेंसी द्वारा सप्लाई किये जाने हेतु कन्ज्यूमेबिल्स की मानक सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपूर्ति में कमी पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान से कटौती की जाए।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण)
आर.के.एस. बैठक के रिकार्ड उपलब्ध थे। बैठकों में वित्तीय व्यय एवं वित्तीय प्रस्तावों का अंकन नहीं किया जा रहा था।	बैठक कार्यवृत्त में वित्तीय प्रस्तावों एवं वास्तविक व्यय का अंकन भी सुनिश्चित किया जाए।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय में शासनादेश 14.06.2017 के अनुसार एम्बुलेंसों के 03 रजिस्टर के स्थान पर 02 ही रजिस्टर मेंटेन किये जा रहे थे।	शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
लेबर रूम एरिया में जे.एस.एस.के. के प्रोटोकाल पोस्टर्स तथा अन्य सम्बंधित आई.ई.सी. की कमी पायी गयी।	समुचित पोस्टर्स लगवाये जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
लेबर रूम एरिया में हीमोग्लोबिनोमीटर तथा यूरीन एल्बुमिन/शुगर जांच की व्यवस्था नहीं थी। सभी केसेज की जांच चिकित्सालय के पैथोलॉजी विभाग से करायी जाती है।	लेबर रूम एरिया में हीमोग्लोबिनोमीटर तथा यूरीन एल्बुमिन/शुगर जांच की व्यवस्था की जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
ऑपरेशन थियेटर में ब्वाल्स ट्राली की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। ट्राली के फ्रेम में जंग लगा हुआ था।	मानक के अनुसार ट्राली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
ऑपरेशन थियेटर में डिजिटल वॉच उपलब्ध नहीं थी।	ऑपरेशन थियेटर में डिजिटल वॉच लगवायी जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
बायो मेडिकल इक्यूपमेंट मेंटिनेंस परियोजना की एजेंसी मे० साइरिक्स का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। टोल फ्री नम्बर पर कम्प्लेन रजिस्टर करने में दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ कम्प्लेन होने के बाद मरम्मत होने में काफी विलम्ब होता है। उदाहरणस्वरूप – 11.06.2019 को ऑपरेशन थियेटर शैडो लैम्प की शिकायत दर्ज हुयी थी परन्तु 23.07.	एजेंसी के जनपदीय प्रतिनिधि द्वारा बेहतर समन्वय हेतु एजेंसी को निर्देशित किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ महाप्रबन्धक, प्रोक्योरमेंट

Scanned by CamScanner

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
2019 (भ्रमण के दिन) तक भी मरम्मत नही की गयी।		
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंधेल		
चिकित्सालय में उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक डिवाइस नही लगाई गयी है।	समस्त चिकित्सालयो मे बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
राज्य स्तर से जनपद को आर.के.एस. अनटाइड फंड की धनराशि माह मई मे उपलब्ध करा दी गयी थी परन्तु जनपद से ब्लाको को धनराशि अभी तक हस्तांतरित नही की गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्काल धनराशि का हस्तांतरण कर दिया जायेगा।	धनराशि का हस्तांतरण एव नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
डाइट रजिस्टर मानकानुसार फार्मेट पर नही पाया गया। रजिस्टर मे मरीज के डिसचार्ज की तिथि भी अंकित नही की जा रही थी।	समस्त चिकित्सालयो में मानक के अनुसार रजिस्टर तैयार किया जाये।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आर.के.एस. बैठकों मे वित्तीय व्यय एव वित्तीय प्रस्तावों का अंकन नही किया जा रहा था।	बैठक कार्यवृत्त में वित्तीय प्रस्तावों एवं वास्तविक व्यय का अंकन भी सुनिश्चित किया जाए।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जे.एस.वाई. के भुगतान की उपलब्धि 82 प्रतिशत पायी गयी। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कुछ लाभार्थियों के खाते न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है।	ए.एन.एम. और आशा को निर्देशित किया जाये कि ए. एन.सी. रजिस्ट्रेशन के उपरांत गर्भवती महिलाओं को खाता खुलवाने हेतु प्रेरित करें।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम एरिया में जे.एस.एस.के. के प्रोटोकाल पोस्टर्स तथा अन्य सम्बंधित आई.ई.सी. की कमी पायी गयी।	समुचित पोस्टर्स लगवाये जाये।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम के पास स्विच बोर्ड खुला पाया गया। नियोनेटल केयर यूनिट में कोई सी.एफ.एल./एल.ई.डी. नहीं लगा था।	उचित व्यवस्था की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सालय परिसर के साथ–साथ लेबर रूम एवं ओ.टी. की साफ–सफाई असंतोषजनक थी। लेबर रूम और जे.एस.वाई. वार्ड में पर्दे नही लगे थे।	उचित व्यवस्था की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम मे इक्जास्ट फैन के स्थान को प्लाई से ढका गया था।	इसको सील किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम और ओ.टी. के बीच में वाशिंग एरिया है जिसकी खिड़की के ऊपरी हिस्सों में शीशे नहीं लगे हैं। जिसके कारण बाहर से गन्दगी एवं कीटाणु आसानी से लेबर रूम और ओ.टी. में घुस सकते हैं।	इसको सील किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लेबर रूम, ओ.टी., वार्डो में जंग लगा हुआ फर्नीचर पाया गया।	उचित व्यवस्था की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सालय में आई.ई.सी. पोस्टर्स एवं वाल राइटिंग्स अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी।	उचित व्यवस्था की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चिकित्सालय भवन की पुताई, पेंटिंग एवं साइनेजेज भी संतोषजनक नहीं पाये गये।	उचित व्यवस्था की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उपकेन्द्र –गिज्झौर		
उपकेन्द्र पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन उपलब्ध नहीं	समस्त वैक्सीन उपलब्धता	चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य

Scanned by CamScanner

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
थी।	सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधिकारी
वी.एच.एन.डी. में आंगनवाड़ी कार्यकत्री अनुपस्थित थी। ए.एन.एम. द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा कार्यों में समुचित सहयोग नहीं दिया जा रहा है।	डी.पी.ओ./सी.डी.पी.ओ. के साथ विचार–विमर्श कर स्वास्थ्य विभाग एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री के मध्य अपेक्षित सहयोग का प्रयास किया जाये।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
केन्द्र पर प्रेग्नेंसी किट उपलब्ध नहीं थी।	समस्त उपकेन्द्रों पर प्रेग्नेंसी किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आशा एवं ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के लक्षणों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं थी।	समस्त आशा एवं ए.एन.एम. को बैठकों में इस सम्बंध में प्रशिक्षण दिया जाये।	समस्त चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अरबन पी.एच.सी., रायपुर		
पी.एच.सी. का आर.के.एस. एकाउण्ट 23.07.2019 को खोला गया है।	एकाउण्ट का नियमानुसार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
पी.एच.सी. द्वारा फर्नीचर/लाजिस्टिक्स एवं अन्य आवश्यकताओं की कोई भी सूची नहीं तैयार की गयी।	सूची तैयार कर अनटाइड फंड का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
चिकित्सालय में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं लगाई गयी है।	समस्त चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
लैब टक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट भ्रमण के समय (25.07.2019) अनुपस्थित थे। कोई भी अवकाश स्वीकृति भी नहीं उपलब्ध थी।	कर्मचारियों की उपस्थिति एवं अवकाश का समुचित रख–रखाव किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
पी.एच.सी. के परिसर में गन्दगी एवं पेड़ों के पत्ते फैले हुये थे जिससे लग रहा था कि कई दिनों से परिसर की सफाई नहीं की गयी है।	साफ–सफाई की उचित व्यवस्था की जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
एम.ओ.आई.सी. को आर.के.एस. समिति के पंजीकरण अथवा आर.के.एस. की बैठकों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पी.एच.सी. पर कोई भी आर.के.एस. बैठक रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। पी.एच.सी. पर डेड स्टाक बुक भी उपलब्ध नहीं थी।	समस्त एम.ओ.आई.सी. को आर.के.एस. एवं अनटाइड फंड सम्बंधित अभिमुखीकरण कराया जाये एवं अभिलेखों का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
अरबन पी.एच.सी., कासनां		
चिकित्सालय में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं लगाई गयी है।	समस्त चिकित्सालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
लैब टक्नीशियन एवं जी.एन.एम. भ्रमण के समय (25.07.2019) अनुपस्थित थे। कोई भी अवकाश स्वीकृति भी नहीं उपलब्ध थी। रजिस्टर में 22.07.2019 के बाद कोई भी लैब टेस्ट किये जाने का उल्लेख नहीं है परन्तु अटेंडेंस रजिस्टर में लैब टक्नीशियन की दिनांक 24.07.2019 तक उपस्थिति दर्ज है।	कर्मचारियों की उपस्थिति एवं अवकाश का समुचित रख–रखाव किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)
परिसर में पोस्टर्स अत्यधिक मात्रा में लगे हुये पाये गये पर उचित ढंग से नहीं लगे थे।	मानकानुसार आई.ई.सी. सुनिश्चित की जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू.एच.एम.)

Scanned by CamScanner

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
आर.के.एस. बैठक रजिस्टर में आउटरीच कैम्प बैठकें लिखित है। आर.के.एस. की कोई भी मीटिंग नहीं की गयी है।	समस्त एम.ओ.आई.सी. को आर.के.एस. सम्बंधित अभिमुखीकरण कराया जाये एवं अभिलेखों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू. एच.एम.)
एम.ओ.आई.सी. को आर.के.एस. खाते के बैलेंस तथा अनटाइड फंड की वार्षिक मानक धनराशि के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं थी। बताया गया कि जनपद स्तर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से ही समस्त कार्यवाही की जाती है।	समस्त एम.ओ.आई.सी. को अनटाइड फंड सम्बंधित अभिमुखीकरण कराया जाये एवं अभिलेखों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।	एम.ओ.आई.सी./अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.यू. एच.एम.)

भूपेश भास्कर, कार्यक्रम समन्वयक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.	डा0 पी0के0 श्रीवास्तव उपमहाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस. एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम.

Scanned by CamScanner